

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग—4
संख्या—1397/77-4-24/96 अप्रैल / 22
लखनऊ: दिनांक—२९ फरवरी, 2024

मे० ओम साई फाउण्डेशन

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा

विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मे० ओम साई फाउण्डेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में आवंटित भूखण्ड संख्या—233, नालेज पार्क—5 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरुद्ध दिनांक 04.12.2022 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) संपर्कित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गई है। प्रकरण में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 27.02.2023 द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 08.12.2023 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें आभासी रूप में प्राधिकरण की ओर से श्री नवीन कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी द्वारा तथा याची संस्था की ओर से श्री कार्तिकेय दुबे, अधिवक्ता द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया।

2. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 23718 / 2022 दायर की गई थी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.2022 द्वारा यह निर्देशित किया है कि प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध धारा 41(3) के अंतर्गत याचिका दाखिल की जाए एवं याचिका दाखिल करने के 3 माह के अंदर यथोचित आदेश शासन द्वारा पारित किया जाए। मा० उच्च न्यायालय के इस निर्णय के क्रम में वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।

3. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे प्रश्नगत भूखण्ड क्षेत्रफल 46548.43 वर्ग मीटर का आवंटन दिनांक 22.03.2013 को कुल प्रीमियम रु० 13,92,72,903/- पर हुआ था, जिसके 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तत्समय किया जाना था एवं अवशेष 90 प्रतिशत का

भुगतान 16 अर्द्धवार्षिक किश्तों में 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर किया जाना अपेक्षित था।

4. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2015 एवं उसके उपरान्त आगामी वर्षों में रियल स्टेट क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर रिशिड्यूमेंट पालिसी लाई गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 06.05.2015 से रिशिड्यूलमेंट पालिसी का विस्तार दिनांक 30.06.2015 तक कर दिया गया है।

5. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रियल स्टेट सेक्टर में बिल्डर्स की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2016 को project settlement policy लाई गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 6 माह के अंदर परियोजनाओं के देयकों को रिशिड्यूलमेंट करने को कहा गया है। इस project settlement policy की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.2018 द्वारा पुनः एक reschedulement policy लाई गई है, जिसमें दिनांक 31.03.2018 तक का समय देयकों के पुर्णनिर्धारण हेतु दिया गया है।

6. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 23.08.2018 तक संस्था द्वारा कई प्रार्थना पत्र देयकों के पुर्णनिर्धारण हेतु दिये गये थे, किन्तु उसके देयक पुर्णनिर्धारित नहीं किये गये। इसी के क्रम में प्राधिकरण द्वारा एक निरस्तीकरण पूर्व नोटिस दिनांक 04.05.2018 को दिया गया, जिसका प्रतिउत्तर संस्था द्वारा दिनांक 07.06.2018 को दे दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उसके द्वारा कई प्रार्थना पत्र अपने देयकों के पुर्णनिर्धारण के लिए पूर्व में दिये जा चुके हैं जिन पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

7. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रियल स्टेट क्षेत्र के बिल्डर्स की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मात्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 940/2017 विक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में आदेश पारित कर ब्याज दरों को कम करने के निर्देश दिये गये हैं। इन आदेशों के अनुपालन में संस्था द्वारा दिनांक 20.08.2020 को अपने देयकों को पुर्णनिर्धारित करने की याचना की है, जिस पर विचार न करते हुए प्राधिकरण द्वारा याची के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 13.10.2020 को निरस्त कर दिया गया है।

8. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 37443/2011 गजराज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में आदेश पारित करते हुए कुछ भूमि अधिग्रहणों को निरस्त कर दिया गया है एवं अन्य भूमि अधिग्रहणों में किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है। तदोपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2015 को आदेश पारित करते हुए इन विवादों का निस्तारण कर दिया गया है।

9. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने तक भूमि पर कोई निर्माण सम्भव नहीं था, अतः उसे आवंटन के दिनांक 22.03.2013 से दिनांक 14.05.2015 तक का शून्य काल दिया जाए।

10. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे आवंटित भूखण्ड में से क्षेत्रफल 640 वर्ग मीटर, जो श्री उम्मीद सिंह के नाम था, का अधिग्रहण नहीं हो पाया था एवं इस भूखण्ड पर सम्बन्धित कृषक का ही कब्जा था। प्राधिकरण के विभिन्न पत्रों से यह स्पष्ट है कि श्री उम्मीद सिंह के नाम भूखण्ड पर प्राधिकरण का कब्जा नहीं हो पाया था। यह भूखण्ड, क्षेत्रफल 640 वर्ग मीटर, आवंटित प्लाट के मध्य था, जिसके कारण कोई निर्माण कार्य पूरे भूखण्ड पर सम्भव ही नहीं था।

11. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा अपने देयकों के पुनर्निर्धारण करने के कई प्रार्थना पत्र दिये गये हैं, जिनका सम्यक निस्तारण न कर प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से भूखण्ड को निरस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण का यह आदेश धारा-7 के उस परन्तुक के भी विरुद्ध है जो कि तत्समय प्रभावी था। परन्तुक मे यह प्राविधान है कि भूखण्ड निरस्तीकरण से पूर्व एक साल का नोटिस देना आवश्यक है, जो कि प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः, याची संस्था द्वारा यह याचना की गई है कि प्राधिकरण का आदेश दिनांक 13.10.2020 निरस्त किया जाए, दिनांक 22.03.2013 से दिनांक 14.05.2015 तक शून्य काल का लाभ दिया जाए, शासनादेश दिनांक 20.07.2022 एवं दिनांक 09.06.2022 का लाभ दिया जाए तथा उसके देयकों का पुनर्निर्धारण कर दिया जाए। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह भी कहा गया है कि उसके द्वारा वर्तमान तक कुल रु0 3,65,41,620/- का भुगतान प्राधिकरण को किया जा चुका है।

12. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी संस्था को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 31.03.2011 के माध्यम से सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, इन्टर कॉलेज/डिग्री कॉलेज/डिग्री/डिप्लोमा इन ऐनी फैकल्टी एण्ड मेनेजमेंट इन्स्टीट्यूट के प्रयोगार्थ एचएस-1, सेक्टर-16, क्षेत्रफल 40,480 वर्गमीटर हेतु आवंटित किया गया था, किन्तु उक्त भूखण्ड का कुछ भाग ग्राम शाहबेरी की भूमि से प्रभावित होने तथा उसका अधिग्रहण मात्र उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत अपीलार्थी संस्था को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 04.11.2011 के माध्यम से वैकल्पिक भूखण्ड संख्या-233, सेक्टर-नॉलेज पार्क-5, क्षेत्रफल 46,540 वर्गमीटर एलोकेट/परिवर्तित किया गया।

13. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से आवंटियों को उनके भूखण्डों के सापेक्ष अतिदेय धनराशियों को रि-शिड्यूलमेन्ट/पुर्ननिर्धारित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये। अपीलार्थी संस्था द्वारा आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष निर्धारित समयावधि में निर्धारित किस्तों को प्राधिकरण के पक्ष में जमा न कराये जाने पर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 07.01.2013, दिनांक 12.09.2014, दिनांक 30.01.2015 तथा दिनांक 08.07.2015 को डिफाल्टर नोटिस प्रेषित किये गये, किन्तु अपीलार्थी संस्था द्वारा उक्त नोटिस का कोई प्रति उत्तर प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही भूखण्ड के सापेक्ष अतिदेय/डिफाल्ट धनराशि को प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया गया।

14. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा निरन्तर अतिदेय धनराशि को रि-शिड्यूलमेन्ट/पुर्ननिर्धारित किये जाने की मांग के दृष्टिगत प्राधिकरण के पत्र दिनांक 07.03.2018 के माध्यम से अपीलार्थी संस्था को पुर्ननिर्धारण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु तत्समय रि-शिड्यूलमेन्ट की प्रचलित नीति के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2018 से पूर्व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किये जाने एवं उन्हें पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार समस्त देयकों का भुगतान करने हेतु सूचित किया गया। उक्त पत्र के माध्यम से अपीलार्थी संस्था को भूखण्ड के सापेक्ष तत्समय देय प्रीमियम, लीज रेन्ट तथा अतिरिक्त प्रतिकर की देयताओं के कम्प्यूटर जनरेटेड इन्टीमेशनों को संलग्न करते हुए यदि किसी मद में जमा धनराशि में भिन्नता हो तो उसके जमा चालानों की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया गया, किन्तु अपीलार्थी संस्था द्वारा उक्त पत्र के अनुक्रम में कोई आवेदन नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी संस्था को समस्त जारी पत्र उनके द्वारा प्राधिकरण में दर्ज पते पर प्रेषित किये गये थे।

15. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी संस्था वास्तव में भूखण्ड की किस्तों को रि-शिड्यूलमेन्ट/पुर्ननिर्धारित किये जाने हेतु इच्छुक होती तो प्राधिकरण के पत्र दिनांक 07.03.2018 के अनुसार दिनांक 31.03.2018 से पूर्व नियमानुसार रि-शिड्यूलमेन्ट/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन करती। ऐसे में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा पुनः दिनांक 07.06.2018 को पूर्वानुसार ही रि-शिड्यूलमेन्ट/पुर्ननिर्धारण का अनुरोध स्वीकार करने योग्य नहीं था। अपीलार्थी संस्था द्वारा भूखण्ड के सापेक्ष देयताओं को जमा न कराये जाने पर उन्हें जारी डिफाल्टर/निरस्तीकरण नोटिस पूर्णतया नियमानुसार है।

16. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण हित को सुरक्षित करने एवं बकाया देयता की वसूली हेतु मात्र सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण द्वारा Application of directions योजित की गयी थी। ऐसे में तत्समय अपीलार्थी संस्था को सन्दर्भित याचिकाओं में पारित आदेश का लाभ दिया जाना अपेक्षित नहीं था। प्रश्नगत आवंटन के सापेक्ष दिनांक 01.09.2020 तक प्रीमियम, लीज रेन्ट तथा अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष लगभग ₹0 44.00 करोड़ की देयता होने के कारण प्राधिकरण के आदेश संख्या:- ग्र.नो./संस्थागत/2020/1529, दिनांक 13.10.2020 के माध्यम से सन्दर्भित आवंटन निरस्त किया गया है, जो कि पूर्णतया नियमानुसार है।

17. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर परियोजना का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए परियोजना को क्रियाशील करना अनिवार्य था। उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार भवन निर्माण विलम्ब शुल्क जमा कराते हुए समय विस्तारण प्राप्त किया जाना था, किन्तु अपीलार्थी संस्था द्वारा ना ही भूखण्ड के सापेक्ष देयताओं को जमा कराया गया एवं ना ही परियोजना क्रियान्वयन की शर्तों के अनुपालन का अनुपालन करते हुए परियोजना का कार्यपूर्ति/क्रियाशील प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जबकि अपीलार्थी संस्था को भूखण्ड के सापेक्ष देयताओं को जमा कराने तथा परियोजना क्रियान्वयन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त/समुचित अवसर प्रदान किया गया। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु जारी आदेश दिनांक 13.10.2020 पूर्णतया नियमानुसार है तथा उक्त प्रस्तरों के अन्तर्गत वर्णित कथन किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है।

18. मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परिशीलन किया गया। भूखण्ड संख्या 233, सेक्टर नालेज पार्क-5 का आवंटन याची संस्था के पक्ष में किया गया था, जिसकी लीज डीड दिनांक

22.03.2013 को निष्पादित की गई है। आवंटी द्वारा दिनांक 01.09.2020 तक धनराशि रु0 3,95,41,920/- को प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया गया है।

19. यह तथ्य मान्य है कि याची द्वारा अपने देयकों का स-समय भुगतान नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप आवंटी को प्राधिकरण के कई पत्रों यथा दिनांक 13.10.2012, दिनांक 07.06.2013, दिनांक 12.09.2014, दिनांक 30.01.2015, दिनांक 08.07.2015 एवं दिनांक 30.08.2017 द्वारा डिफाल्टर नोटिस प्रेषित किये गये हैं। डिफाल्ट की धनराशि जमा न कर याची संस्था द्वारा दिनांक 19.09.2016 से लगातार अपने देयकों को पुर्ननिर्धारण करने की याचना की जाती रही है। इन पत्रों के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से संस्था को यह अवगत कराया गया है कि किश्तों को रिशिड्यूल किये जाने हेतु वर्तमान में कोई पालिसी निर्धारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा संस्था के रिशिड्यूलमेंट के प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंतिम रूप से प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.07.2020 को रिशिड्यूलमेंट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

20. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस भूखण्ड पर याची को कब्जा दिनांक 22.03.2013 को ही उपलब्ध करा दिया गया था। याची द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश था अथवा नहीं, जिसके कारण इस भूखण्ड पर निर्माण नहीं किये जा सकते थे। ऐसी दशा में याची का यह कहना कि किसानों के विरोध के कारण दिनांक 22.03.2013 से दिनांक 14.05.2015 तक निर्माण कार्य नहीं किये जा सकते थे, उचित नहीं है। अतः, इस अवधि हेतु याची का शून्य काल का प्रत्यावेदन निरस्त होने योग्य है।

21. इसी प्रकार याची द्वारा मात्र 640 वर्ग मीटर पर संस्था का नाम न होने के कारण पूरे भूखण्ड पर शून्य काल दिये जाने की याचना की गई है। याची के प्रत्यावेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि आवंटन हो जाने के पश्चात महज 640 वर्ग मीटर पर नाम न होने के कारण किस प्रकार से पूरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण का निस्तारण भी वर्ष 2015 में हो चुका था। ऐसी दशा में 640 वर्ग मीटर पर याची संस्था का नाम न होने के कारण पूरे भूखण्ड पर शून्य काल घोषित किया जाना उचित नहीं है। अतः याची संस्था की यह मांग भी स्वीकार होने योग्य नहीं है, निरस्त की जाती है।

22. याची के भूखण्ड को दिनांक 13.10.2020 को निरस्त किया गया है। निरस्तीकरण आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि याची संस्था द्वारा आवंटन/योजना ब्रोशर/लीज डीड में वर्णित नियम/शर्तों का निरन्तर उल्लंघन करने के कारण प्रश्नगत आवंटन निरस्त किया गया है। वस्तुतः निरस्तीकरण आदेश के दिनांक पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा-7 का परन्तुक दिनांक 28.07.2020 से प्रभावी हो गया था, जिसमें निम्न व्यवस्था दी गई है:-

"Provided that where any land so allotted is not utilized for the purpose for which it was allotted within the period of 5 years from the date of possession or within the period fixed for such utilization in the conditions of allotment, whichever is longer, the lease deed will stand cancelled and the land shall vest with the Authority. Provided further where the aforesaid period has already lapsed before the commencement of this Act, the Authority shall give a notice to the allottee to use the land for the purpose for which it was allotted within a period of one year and if within the above period of one year the allottee does not use the land, then the allotment and lease deed shall stand automatically cancelled."

23. इस परन्तुक के अनुसार निरस्तीकरण से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, जिसमें आवंटी को नोटिस के उपरान्त एक वर्ष का समय निर्माण कार्य करने के लिए दिया जाना अपेक्षित है। वर्तमान प्रकरण में निरस्तीकरण से पहले इस आशय का कोई नोटिस संस्था को नहीं दिया गया है।

24. इसी प्रकार के विवाद में मारो उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2238/2021 में जे.एम. हाउसिंग लिंबनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में दिनांक 02.02.2021 को निम्न आदेश परित किये हैं:-

"The 1st part of the proviso provides that where any land so allotted is not utilized for the purpose for which it was allotted within a period of 5 years from the date of possession or within the period fixed for such utilization in the conditions of allotment, whichever is longer, the lease deed will stand cancelled and the land shall vest with the Authority. The 2nd part of the proviso provides that where the aforesaid period has already lapsed i.e. where the allotted land is not utilized within 5 years from the date of possession or within the specified period in the terms of allotment and the said period has expired before the commencement of the Amending Act, the authority is obliged to

give a notice to use the land for the purpose for which it was allotted within a period of one year and if within the above period of one year the allottee does not use the land, then the allotment and lease deed shall stand automatically cancelled.

Thus, the condition precedent for applicability of the 2nd part of the proviso is that the period for utilization should have expired before the commencement of the Amending Act i.e. 28.7.2020 and the Authority before cancelling the allotment/lease had given a notice to the allottee to utilize the land within a year. Sri Singh, on instructions, does not dispute that no notice as contemplated in the 2nd part of the proviso to Section 7 of the Act was ever issued to the petitioner which is also authenticated in the impugned order as the same does not refer to issuance of any such notice, rendering the order dated 7.1.2021 vulnerable in law.

The writ petition is allowed. The order dated 07.01.2021 is set aside /quashed."

25. मा० उच्च न्यायालय द्वारा की गई विवेचना से भी यह स्पष्ट है कि यदि भूखण्ड के आवंटन से 5 वर्ष का समय पूरा भी हो गया है तो निरस्तीकरण से पहले इस आशय का नोटिस देना आवश्यक है कि भूमि का उपयोग एक वर्ष के अंदर कर लिया जाए। स्पष्टतः इस तरह का नोटिस न दिये जाने के कारण निरस्तीकरण आदेश अवैधानिक हो जाता है।
26. उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा-7 के परन्तुक के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण का आदेश बनाये रखने योग्य नहीं है, निरस्त किया जाता है एवं भूखण्ड बिना किसी पुर्नस्थापना शुल्क के प्रतिस्थापित किया जाता है।
27. शासनादेश संख्या 1567/77-4-20-36एन/20 दिनांक 09.06.2020 द्वारा प्राधिकरण को ब्याज दर संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2275/77-4-20-142एन/ 08टीसी दिनांक 20.07.2022 द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत निःशुल्क समय विस्तारण समर्त संस्थाओं को दिया जाना है। इन शासनादेशों का लाभ याची संस्था को प्रदान किया जाए।
28. प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार याची संस्था के देयकों का पुर्णनिर्धारण कर ले। पुर्णनिर्धारित धनराशि का 25 प्रतिशत 60

दिन में जमा किया जाए व अवशेष धनराशि की 4 अर्द्धवार्षिक किश्तें निर्धारित कर दी जाएं।

तदनुसार एतद्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।


अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:- 139740/77-4-24 / 96 अप्रैल / 22 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, मे0 ओम साई फाउण्डेशन, एच.एस.-34,
सेक्टर-पाई-2, ग्रेटर नोएडा (syed.tamjeedlko@gmail.com)।
3. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई.टी. इन्वेस्ट यू०पी० को विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव